प्रेस नोट

दिनांक 16.03.2024, थाना परसपुर

जनपद गोण्डा।

थाना परसपुर पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री चन्द्रपाल के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0-88/24, धारा 498ए, 304बी, 201 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों 01. हरिकेश सिंह 02. रामकेवल को चरसड़ी चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.03.2024 को वादी द्वारा थाना परसपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी लडकी की शादी 02 वर्ष पूर्व हरिकेश सिंह के साथ हुई थी। वादी की लड़की को ससुरालजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिए है। प्राप्त तहरीर की आधार पर थाना परसपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए 02 आरोपी अभियुक्तों 01. हरिकेश सिंह व 02. रामकेवल को आज दिनांक 16.03.2024 को चरसड़ी चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. हरिकेश सिंह पुत्र पवन कुमार सिंह निवासी ग्राम रामपाल पुरवा बहुवन मदार माझा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. रामकेवल पुत्र सिद्धमान सिंह निवासी ग्राम रामपाल पुरवा बहुवन मदार माझा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-88/24, धारा 498ए, 304बी, 201 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 आदित्य गौरव श्रीवास्तव
02. हे0क0 विनोद सिंह
03. हे0का0 रामसेवक
04. का0 लालबहादुर यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 16.03.2024, थाना नवाबगंज
जनपद गोण्डा।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, 110 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, नौसादर, यूरिया व शराब बनाने के उपकरण बरामद व 6600 लीटर लहन नष्ट किया गया।

कार्यवाहीः-
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 110 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 10 किलो यूरिया, 02 किलो नौसादर व शराब बनाने के उपकरण के साथ अभियुक्त आकाश उर्फ सोल्जर पुत्र घनश्याम निषाद निवासी ग्राम दुल्लापुर मल्लाहनपुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को ग्राम दुल्लापुर नाले के किनारे से गिरफ्तार कर लिया गया तथा मौके पर ही 6600 लीटर लहन नष्ट किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
आज दिनांक 15.03.2024 को थाना नवाबगंज के व0उ0नि0 त्रियुगी प्रसाद शर्मा मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम दुल्लापुर नाले के किनारे अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण हो रहा है प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल द्वारा बताये गए स्थान पर घेराबन्दी कर अभियुक्त आकाश उर्फ सोल्जर पुत्र घनश्याम निषाद निवासी ग्राम दुल्लापुर मल्लाहनपुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को दुल्लापुर नाले के किनारे से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 110 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब, 10 किलो यूरिया, 02 किलो ग्राम नौशादर व बनाने के उपकरण बरामद किया गया तथा मौके पर मौजूद 6600 लीटर लहन नष्ट किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवबगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियक्त-
01. आकाश उर्फ सोल्जर पुत्र घनश्याम निषाद निवासी ग्राम दुल्लापुर मल्लाहनपुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-095/2024, धारा 60, 60(2) आबकारी अधि0 व 272 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-
01. 01 प्लास्टिक की टंकी मे कुल 110 लीटर अपमिश्रित शराब
02. 10 किलोग्राम यूरिया

03. 02 किलो नौसादर
04. शराब बनाने के उपकरण
05. लगभग 6600लीटर लहन नष्ट किया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. व0उ0नि0 त्रियुगी प्रसाद शर्मा
02. हे0का0 मनोज सिंह
03. हे0का0 अनिल कुमार
04. हे0का0 विक्रम बहादुर
05. का0 बलराम सिंह
06. का0 अतुल कुमार सिंह
07. का0 रविकेश यादव
08. का0 अमित सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 16.03.2024, मॉनिटरिंग सेल,

जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को हुई आजीवन कारावास व रूपए 50,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व रु0 50,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना वजीरगंज पुलिस ने हत्या करने के आरोप में आरोपी अभियुक्त- शंकर उर्फ शिवशंकर पुत्र मल्हू निवासी देवीनगर थाना वजीरंगज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश शुक्ला, मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 बन्दना व थाना वजीरगंज के पैरोकार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष-09 गोण्डा कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास व रू 50,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. शंकर उर्फ शिवशंकर पुत्र मल्हू निवासी देवीनगर थाना वजीरंगज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-37/2028, धारा 302 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 16.03.2024, थाना को0मनकापुर
जनपद गोण्डा।

थाना को0मनकापुर क्षेत्र के अन्तर्गत हुई लूट की घटना का सफल अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 9,000/- नगद, मोबाइल, एटीएम, पर्स व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी को0मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना को0मनकापुर पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0-110/24, धारा 394, 504, 506, 411 भादवि से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्तगण 01. पवन मिश्रा उर्फ अभिषेक मिश्रा व 02. शत्रुधन यादव को बन्दरहा जाने वाली रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की रू0 9,000/-, 02 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद लेदर पर्स, 01 अदद SBI ATM व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल HF डीलक्स बिना नम्बर प्लेट का बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.03.2024 को वादी श्री अनीश गुप्ता पुत्र रामआसरे गुप्ता निवासी ग्राम बइलिया थाना वाजीरगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0मनकापुर पर सूचना दिया गया की मै अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से मनकापुर कस्बे में इण्डियन बैंक के एटीएम से पैसा निकालने आया था पैसा निकाल कर बन्दरहा गाँव के रास्ते अपने घर वापस आ रहा था कि अज्ञात लोगो द्वारा हरसिंहवा गाँव जाने वाले मोड़ के पास मेरे साथ लूट की घटना घटित कर फरार हो गये। तहरीर पर थाना को0मनकापुर में मु0अ0सं0-110/24, धारा 394, 504, 506, 411 भादवि बनाम अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा तत्काल अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के पर्यवेक्षण में टीमों का गठन कर घटना के अनावरण हेतु लगाया गया था। आज दिनांक 16.03.2024 को थाना को0मनकापुर की पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्तगण 01. पवन मिश्रा उर्फ अभिषेक मिश्रा व 02. शत्रुधन यादव को बन्दरहा जाने वाली क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से लूट के 9,000/-, 02 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद लेदर पर्स, 01 अदद SBI ATM, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल HF डीलक्स बिना नम्बर प्लेट का बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कोतवाली मनकापुर द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. पवन मिश्रा उर्फ अभिषेक मिश्रा पुत्र स्व0दिग्विजयनाथ मिश्रा निवासी बंदरहा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा
02. शत्रुघन यादव पुत्र हीरालाल यादव निवासी ग्राम गिलुआ मौज बंदरहा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-110/24, धारा 394, 504, 506, 411 भादवि थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. लूट के 9,000/- रूपये।

02. 02 अदद मोबाइल फोन

03. 01 अदद लेदर पर्स

04. 01 अदद SBI ATM

05. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल HF डीलक्स बिना नम्बर प्लेट का।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह

02. हे0का0 रवीश कुमार

03. हे0का0 रणबीर गौतम

04. हे0का0 सुरेश कुमार गुप्ता

05. का0 ओमप्रकाश यादव

मीडिया सेल, गोंडा।

प्रेस नोट
दिनांक 16.03.2024, थाना इटियाथोक
जनपद गोण्डा।

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 300 अवैध नशीली टेबलेट (अल्प्राजोलम) बरामद-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री शिल्पा वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा गस्त व क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध मादक पदार्थ (300 अल्प्राजोलम गोली) के साथ अभियुक्त आशीष सिंह पुत्र त्रिभुवन नारायण सिंह निवासी भरिया मौजा जयनगरा थाना महाराजगंज जनपद बलरामपुर को पड़री नहर पुलिस के पास से गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0- 102/2024 धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.03.2024 को थाना इटियाथोक के उ0नि0 रवीन्द्र कुमार रमन मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि पड़री नहर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया जिसके पास अवैध मादक पदार्थ 300 नशीली गोलिया अल्प्राजोलम बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0- 102/2024 धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट बनाम आशीष सिंह पुत्र त्रिभुवन नारायण सिंह निवासी भरिया मौजा जयनगरा थाना महाराजगंज जनपद बलरामपुर के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. आशीष सिंह पुत्र त्रिभुवन नारायण सिंह निवासी भरिया मौजा जयनगरा थाना महाराजगंज जि0 बलरामपुर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 102/2024 धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. अवैध मादक पदार्थ 300 नशीली गोलिया अल्प्राजोलम बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 रविन्द्र कुमार रमन
02. का0 अमित तोमर
03. का0 नन्दु कुमार साह
04. का0 मो0रजा अंसारी

अपराधिक इतिहास

01. मु0अ0सं0 0281/2019 धारा 4/25 आयुध अधिनियम 1959 थाना कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर
02. मु0अ0सं0 0387/2022 धारा 380/411 भादसं0 1860 थाना कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर
03. मु0अ0सं0 0008/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना महाराजगंज तराई जनपद बलरामपुर
04. मु0अ0सं0 0097/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम 1959 थाना महाराजगंज तराई जनपद बलरामपुर
05. मु0अ0सं0 0218/2023 धारा 323,504,506 भादसं0 1860 थाना महाराजगंज तराई जनपद बलरामपुर

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

आगामी लोकसभा चुनाव-2024 की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा करते ही जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू होने पर शहर देहात क्षेत्रों में सभी राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर, फ्लेक्स सरकारी भवनों पर कोई वॉल पेंटिंग व होर्डिंगस को प्रशासन के सहयोग से हटाए गए।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में समस्त राजपत्रित अधिकारियों व समस्त थाना प्रभारियों/थानाध्यक्षों द्वारा भारी पुलिस बल के साथ जनपद में ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए सभी स्थानों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर व होर्डिंग्स हटवाए गए तथा पूरी टीम द्वारा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि स्थानों पर पहुंचकर भी आदर्श आचार संहिता का नियमानुसार पालन करने के क्रम में कार्यवाही की गई तथा आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन शुरू करा दिया गया है।

यह अभियान अग्रिम आदेश तक लगातार जारी रहेगा तथा इस अवधि के उपरांत पोस्टर बैनर लगाने वाली तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

प्रेस नोट

दिनांक 16.03.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा लोकसभा सामान्य चुनाव- 2024 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में शहर क्षेत्र में भ्रमण कर जायजा लिया गया तथा चुनावी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, वाल पेटिंग को हटवाने की कार्यवाही की गई।

जनता में शांति व सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने हेतु अर्धसैनिक बल एवं पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली नगर के विभिन्न मोहल्लों/कस्बा में किया गया रूट मार्चः-

आज दिनांक 16.03.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा मा0 निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों की अधिसूचना जारी होने के उपरांत शहर क्षेत्र में भ्रमण कर आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में की जा रही कार्यवाही का जायजा लिया गया तथा राजनैतिक चुनावी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, वाल पेटिंग को प्रशासन की मदद से हटवाने की कार्यवाही कराई गई। तत्पश्चात् पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनता में शांति व सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने हेतु अर्धसैनिक बल (SSB) एवं पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली नगर के विभिन्न मोहल्लों/कस्बा में एरिया डामिनेशन /रूट मार्च किया गया । महोदय द्वारा बताया गया की लोकसभा समान्य चुनाव- 2024 के दृष्टिगत गोण्डा पुलिस व प्रशासन द्वारा समस्त तैयारिया पूर्ण कर ली गयी है। जनपद गोण्डा में एरिया डॉमिनेशन/रूट मार्च हेतु 02 कम्पनी अर्धसैनिक बल आ चुकी है तथा अर्धसैनिक बल के साथ लगातार स्थानीय पुलिस द्वारा समन्वय स्थापित कर सभी संवेदनशील स्थलों पर रूट मार्च किया जा रहा है, जितने भी मैपिंग के माध्यम से क्रिटिकल मतदान केन्द्र चिन्हित किये गये है उन सभी जगहों पर लगातार अर्धसैनिक बल, पी0ए0सी0 व स्थानीय पुलिस द्वारा रूट मार्च की कार्यवाही चल रही है और आज आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जो भी सार्वजनिक स्थानों पर राजनैतिक चुनावी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, वाल पेटिंग लगे है प्रशासन की मदद से हटवाने की कार्यवाही जारी है तथा यह कार्यवाही चलती रहेगी। आमजन को स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान करने तथा अवांछनीय व आपराधिक किस्म के व्यक्तियों में भय व्याप्त करने हेतु एरिया डॉमिनेशन/रूट मार्च कर आमजन मानस को सुरक्षा का एहसास कराया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता का पालन करने, लोकसभा चुनाव में लोगों को कानून व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करने तथा आमजन को भयमुक्त व निडर होकर मतदान करने की अपील की गई। सभी को चुनावो में बढ-चढकर मतदान करने हेतु प्रोत्साहित किया गया साथ ही अवगत कराया गया कि लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी करने वालो पर पुलिस की पैनी नजर है तथा ऐसे लोगों पर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्पष्ट शब्दों में बताया कि किसी ने भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूरे चुनाव में अराजकता फैलाने व गड़बड़ी करने वालों को नही बख्शा जाएगा, तैनात स्पेशल टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही कर जेल भेजा जाएगा साथ ही यह भी बताया गया की पुलिस सोशल मीडिया सेल द्वारा भी 24*7 लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म, twitter, facebook व व्हाट्सएप ग्रुप पर निरंतर निगरानी की जा रही है। यदि किसी भी प्रकार की सोशल प्लेटफार्म पर अराजकता फैलाई जाएगी तो तत्काल कार्यवाही कराई जाएगी।